

# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

## U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या: 2749- औस/पाकालि/2012-11(5)ए०एस०/2011

दिनांक: 30 अगस्त, 2012

### कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहयोगी कम्पनीज के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कारपोरेशन द्वारा निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित "मेदान्ता द मेडिसिटी हास्पिटल, सेक्टर-38, गुडगाँव (हरियाणा) 122001", (फोन सं०-0124-4141414) में स्वेच्छा से इलाज कराने हेतु दिनांक 31.03.2014 तक के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन के आदेश संख्या-2930-औस/2008-11(4)एफ/86(वाल्सूम-1), दिनांक 04.08.2008 के अनुरूप सकल चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि का 75 % पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088-एन०जी०-2/एस०ई०बी०(चार) 29-एन०जी०-2/78, दिनांक 24.05.78 में निहित प्राविधानों एवम् शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

### प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 2749-(1) औस/पाकालि/2012-तददिनांक 30.08.2012

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ, वाराणसी, मंरठ, आगरा एवम् केरको, कानपुर।
- 5- निदेशक (आपरेशन/प्रोजेक्ट/कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/(पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशसी अभियन्ता, को उपलब्ध करा दें।
- 8- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त)/(औस), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव-प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12- अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाइट [www.uppcl.org-Personnel](http://www.uppcl.org-Personnel) पर लोड करने हेतु।
- 11- उप महाप्रबन्धक, मेदान्ता द मेडिसिटी हास्पिटल, सेक्टर-38, गुडगाँव 122001।
- 12- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 13- कट फाइल।

Nat Mathur  
(नवनीत माथुर) 30.8.12  
कार्मिक अधिकारी